

केंद्रीय जंगल सुचना अधिनियम (प्रथम अपील)

निबंध प्रकाशन विभाग
 लिटिल हार्डिन दिल्ली
 110054

100
 7/8

विषय : सुचना अधिका अधिनियम के तहत 26/06/15 को
 मांगी गई जानकारी के विषय में प्रथम अपील का
 हल

मसौदा

मेरे द्वारा सुचना अधिका अधिनियम के तहत 26/06/15 को
 रखी नाराज अनुबंध / निवेदन के संदर्भ में जो जानकारी
 मेरे द्वारा मांगी गई थी उस संदर्भ में जो जानकारी
 सम्बंधित अनुसूची द्वारा उपलब्ध नहीं है उसमें ध्यान
 रखा है।

16/08/15

निकु उपलब्ध जानकारी अधूरी, असंपूर्ण है। सुचना अधिनियम
 पुनः संपूर्ण व सही जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

Sh. Mishra
 16/8

- (A) विन्दु-1 (B) विन्दु-2 (C) विन्दु-3
- (D) विन्दु-6 (E) विन्दु-7 (F) विन्दु-10

आशा है परीक्षक महोदयों को जल्द से जल्द सही, संपूर्ण व पूर्ण
 जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

— दायता — अधीन
 5264 भारतीय पक्ष, राज नई दिल्ली
 110055

नोट : दाना पत्रों की कापी संलग्न है।
 (संलग्न जानकारी व उलट जावाक)

सहायक नियंत्रक (प्र०) को सूचित किया जाता है कि इस पत्र के साथ
 कौरे की प्रती संलग्न नहीं थी सूचना के लिए प्रस्तुत है

इन्दर सिंह - II (M.T.S.)

17/8/15



भारत सरकार

प्रकाशन विभाग

शहरी विकास मंत्रालय

सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

Website: www.deptpub.gov.in

Email: acop-dep@nic.in (& pub.dep@nic.in)

TEL.: 2381 7823 /2381 9689 Fax: 2381 7846.

स्वीड पोस्ट द्वारा

सं: ओ. एण्ड एम./18513/2015

दिनांक 02 सितम्बर, 2015


सेवा मे,
श्री राजकुमार, 5264,
भारत नगर, पहाड़ गंज ,
नई दिल्ली- 110 055

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत की गयी अपील के संबंध में ।

महोदय,

आपका पत्र, जो इस विभाग में दिनांक 07.08.2015 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वर्तमान समय में इस विभाग में कोई प्रथम अपिलिय प्राधिकारी/ नियंत्रक प्रकाशन मौजूद नहीं है तथापि आपको यह पुनः सूचित किया जाता है कि बिन्दु सं. 1,2,3,6,7 और 10 में दी गयी जानकारी पूर्ण एवं स्पष्ट है।

भवदीय,


(जी. डी. पाण्डेय)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

11/2
मे.स.
02.09.15
स.स.स.स.स.स.
02.09.15